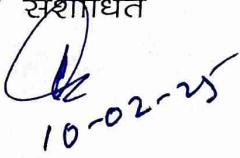
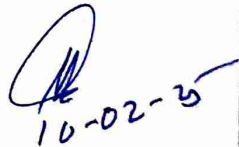




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

वाद संख्या -/2025

धारा 163 भा0 ना0 सु0 सं0

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10-02-25	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बगोदर के ज्ञापांक - 43, दिनांक- 18.01.2025 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 163 भा0 ना0 सु0 संहिता के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 21-02-25 को कारण पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 21-02-25 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित  10-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया (गिरिडीह)	 10-02-25 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया(गिरिडीह)

श की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21-2-25	उपस्थ पक्ष के कालान उपस्थित द्वितीय पक्ष 10/5 दाखिल करें। प्रथम पक्ष के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि निर्गत नोटिस में अशुद्धि है। अदिलाब 25/2 के तथ्य नया नोटिस निर्गत करें। अगली तारीख 07/3/25  21-2-25	
07/3/25	द्वितीय पक्ष उपस्थित/प्रथम पक्ष उपस्थित/द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित जायदाद पृष्ठ दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा मुकदमा वापस लेने मौखिक अनुरोध किया गया। अगली तारीख 15/3/25  07/3/25	
15/3/25	दिनांक 15.3.25 को राजपूत अकाला कोषित होने के कारण मुनवाई नहीं हो पायी। अभिलेख दिनांक 28/3/25 को 22 को 	
28/3/25	प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 09/4/25 को 22 को 	

श्री की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
१/५/२५	उत्तर पत्र उपस्थित। आदेश हेतु  १/५/२५	
१/५/२५	<u>आदेश</u> (बाद सं. १५/२५) अंचल अधिकारी, बगौदर के प्रतिवेदन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अधोदस्ताखती के तबानीय अधिकारिता क्षेत्र में अवस्थित भूमि को लेकर लोक परिशांति भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान है तथा अविश्वसनीय नियोधाल्मक कार्यवाई की आवश्यकता है। अतः श्री. नी. सु. सं. की धारा १६३ के तहत उक्त भूमि पर दिनांक १०-२-२५ की प्रभावी तिथि से निवेधाना प्रवृत्त किया तथा उत्तर पत्र को उक्त भूमि पर जाने तथा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया। <u>विषादग्रस्त भूमि का विवरण</u> मौजा - अडवार (बगौदर) प्लॉट नं० - ६५१ खाला नं० ६६ नोटिस निर्गत कर उत्तर पत्र से कारण पृच्छा भी की गई। उत्तर पत्र अधोदस्ताखती के न्यायमाल में उपस्थित हुए जाय -	

पृष्ठ की क्र० सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कारवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

1

2

3

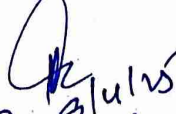
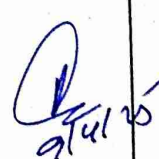
तथा अपना-अपना पशु रखा।

प्रथम पक्ष उक्त भूमि को
बन्दोबस्ती से प्राप्त भूमि बताते
हैं अपने आवेदन/कारण पत्र
में विवादाल्पद भूमि का खाला
सं. 66 तथा प्लॉट नं. 659
बतलाते हैं। प्रथम पक्ष द्वारा
उक्त राजस्व कागजातों में
प्लॉट सं. दर्ज नहीं है।

द्वितीय पक्ष अपना जमीन
उक्त प्लॉट का नहीं बतलाकर
प्लॉट सं. 959 का बतलाते
हैं, खाला सं. 66 ही है।
द्वितीय पक्ष सक्तीमैनर सदायदी
के जलिये उक्त भूमि को हस्तगत
बतलाते हैं।

पुनः प्रथम पक्ष एक
सुधार् आवेदन दाखिल कर
बतलाते हैं कि टंकण कुट्टि
के कारण प्लॉट सं. 959 की
जगह 659 टंकित हो गया
है।

अथ पक्ष के राजस्व
कागजातों का अध्ययन।
अथ पक्ष के विद्वान अधिकारियों
के दलीलों को सुनने के
बाद -

1 की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त पक्ष अलग-अलग राजस्व कागजातों के आधार पर एक ही भू-खण्ड पर अपना दावा कर रहे हैं जो कि भूलतः एक-हीयत (Title) से जुड़ा विवाद है। एक-हीयत (Title) / स्वत्व का विचारण अधोदस्ताखतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है अतः उक्त वाद में कोई अंतिम निर्णय किसी पक्ष के हित में या खिला करना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना कोई अंतिम आदेश पालिका के समक्ष दायित्व की जाती है। उक्त पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वाद के स्थायी निपटारे के लिए तथ्य न्यायालय में appropriate वाद लाना सुनिश्चित करेंगे। लेखापति एवं सहायक लेखापति  SDM Bagodar Sainy.  SPM. B-S- Subdivision.	